भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1627

जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है

खुली खदानों की पर्यावरणीय संपरीक्षा

1627. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुली खदानों की पर्यावरणीय संपरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन पर्यावरणीय संपरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में कापरी/कपूरदी लिग्नाइट खदान की संपरीक्षा कराई है;

(घ) यदि हाँ, तो उस संपरीक्षा के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार पूरे देश में खदान पुनर्वास और पुनर्ग्रहण नीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में विफल रही है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रमुख कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): सभी कोयला और लिग्नाइट खदानों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)/एसईआईएए (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) से पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना और खान कार्यों को शुरू करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से स्वीकृति प्राप्त करना अधिदिष्ट है। इसके अलावा, समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से सक्षम प्राधिकारियों को

प्रस्तुत की जाती है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित एसपीसीबी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं।

पर्यावरणीय स्वीकृतियों की शर्तों के अनुपालन में राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), आईआईटी-आईएसएम आदि जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों को शामिल करके विनिर्दिष्ट अंतरालों पर ओपनकास्ट कोयला खानों की तृतीय पक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति अनुपालन लेखा परीक्षा की जा रही है।

कोयला खानों सहित विभिन्न पर्यावरण कानूनों के तहत संचालित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुपालन तंत्र ढांचे को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। ये नियम पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों के माध्यम से व्यवस्थित पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित करते हैं और उत्सर्जन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की जांच करते हैं, और उल्लंघनों को रिपोर्ट करतें है। यह लेखा परीक्षा तंत्र केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाने वाली मौजूदा मॉनीटरिंग का अनुपूरक है।

(ख): पर्यावरण स्वीकृति अनुपालन लेखा परीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. ओपन कास्ट माइन फेस और ओवरबर्डन बेंच आदि पर ढलान की विफलता को देखने के लिए नियमित जांच की जानी चाहिए। किसी भी असामान्य स्थिति को यदि देखा जाता है, तो उसे तुरंत संबंधित के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

ii. खनन और डंपिंग क्षेत्रों के आसपास भूमि कटाव को रोकने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी।

iii. ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए निर्धारित कार्यक्रम की हर वर्ष बाद जांच की जा सकती है और किसी भी आवश्यक परिवर्तन को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हर मौसम में रोपण के बाद की स्थिति की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।

iv. पर्यावरण विभाग को विभिन्न विकास स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आसपास के गांवों के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए। क्षेत्र में परियोजना के कामकाज के बारे में आसपास के गांवों के लोगों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है।

v. रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर (आरडीएस) की मदद से खान परिसर में महत्वपूर्ण प्रवण क्षेत्र जैसे हॉल रोड, क्रशर, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पॉइंट, कोयले के लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट आदि में व्यक्तिगत और आस-पास के क्षेत्र जोखिम मूल्यांकन और कार्यकर्ता सुरक्षा

के लिए फ्यूजीटिव डस्ट एमीशन (टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट (टीएसपी)) की निगरानी की जानी चाहिए।

vi. कोयला कंपनी खानों में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए एक वैज्ञानिक नीति विकसित करने की संभावना का अन्वेषण कर सकती है ताकि पर्यावरणीय सधारणीयता को सुनिश्चित किया जा सके।

vii. सभी सीएएएमएस स्टेशनों को नियमित रूप से कैलिब्रेट किया जाना चाहिए

viii. स्प्रिंकलर का रखरखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए

ix. गारलैंड ड्रेंस के आकार को ठीक से रखरखाव किया जाना चाहिए और नियमित अंतराल पर गाद निकालनी चाहिए। गाद जमा होने या ढीली सामग्री (लूज मटेरियल) के संचय के कारण किसी भी रुकावट की नियमित आधार पर जांच की जाएगी। नाले पर पत्थर की पिचिंग, ईंट के टीले आदि की भी निगरानी की जाएगी।

कोयला कंपनियां ईसी अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्टों की टिप्पणियों और सुझावों का अनुपालन कर रही हैं।

(ग) और (घ): जी हाँ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कपूरदी खान के मालिक राजस्थान सरकार के उद्यम मैसर्स बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड (बीएलएमसीएल) की लेखा परीक्षा की है। हालांकि वित्त वर्ष 23-24 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन आकस्मिक लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

i. भूमि की अनुपलब्धता के कारण 159.90 करोड़ रुपये की राशि अवरुद्ध हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 68.59 करोड़ रुपये की अनुचित लागत में वृद्धि हुई।

ii. गलत ब्याज गणना के कारण 0.20 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करना पड़ा है।

iii. सार्वजनिक खरीद में राजस्थान पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन न करना।

इस संबंध में, बीएलएमसीएल ने दिनांक 29.01.2025 के पत्र के तहत प्रत्येक ऑडिट पैरा के लिए अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है। कंपनी ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए गए उत्तर में टिप्पणियों और शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट किया है।

(ड.) और (च): यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार खान पुनर्वास और सुधार नीतियों

को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रही है। सभी कोयला खनन कंपनियां अनुमोदित खनन योजनाओं (खान बंद करने की योजनाओं सहित) और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के अनुसार सुधार और पुनर्वास करती हैं। ये गतिविधियां कोयला मंत्रालय द्वारा जारी खान बंद करने के दिशानिर्देशों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती हैं।

कोयला मंत्रालय ने खान बंद करने के तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की है, जिसमें वर्ष 2009, 2013, 2020, 2022 में जारी किए गए दिशानिर्देश और 31.01.2025 के नवीनतम संशोधित दिशानिर्देश शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, खान मालिक सभी सुरक्षात्मक, सुधार और पुनर्वास कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है और उसे कोयला नियंत्रक को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, कोयला कंपनियां प्रगतिशील और अंतिम खान बंद करने का कार्य करती हैं और सीसीओ (कोयला नियंत्रक संगठन) को अर्ध-वार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा की जा रही है और एस्क्रो खातों में जमा खान बंद करने संबंधी निधियां चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती हैं। खनन प्रचालनों और खान बंद होने के बाद के चरणों के दौरान सीपीसीबी-मान्यता प्राप्त और एनएबीएल-मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से हवा, पानी और शोर की पर्यावरणीय निगरानी भी की जाती है, जिससे पुनर्वास और सुधार गतिविधियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

*****